रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 28, 2016/आषाढ़ 7, 1938
No. 267] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 2016/ASHADHA 7, 1938

उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट

अधिसूचना

कोरापुट, 24 जून, 2016

संविधि संशोधन 2(4)

कुलपति पाँच वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय संभालेंगे, जिस दिनांक से वे कार्यभार ग्रहण करेंगे या सत्तर वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे या इनमें से जो भी पहले हो। वह फिर से पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत, उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ओड़ीसा की कार्यकारिणी परिषद के गठन के लिए, संविधि – 11 में संशोधन ।

1. विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

 i. कुलपति;

 ii. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार या उसका/उसकी द्वारा नामित सदस्य;

 iii सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर;

 iv. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा नामित सदस्य;

 v. समकुलपति;

 vi. कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त विभिन्न स्कूल आफ़ स्टडीज़ के संकाय प्रमुखों में से चार सदस्य;

IndiaCode

vii. कुलपति द्वारा संकाय प्रमुखों के अलावा चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त एक प्रोफेसर;

viii. कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त एक सह प्रोफेसर;

ix. कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त एक सहायक प्रोफेसर;

x. विज़िटर द्वारा नामित कोर्ट के दो सदस्य जो कि विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान के कर्मचारी या छात्र न हों;

xi. विज़िटर द्वारा नामित शैक्षणिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में विशिष्ट स्थान रखने वाले चार सदस्य।

2. कुलपति के अलावा कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा ।

3. कार्यकारी परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति कम से कम दो बाहरी सदस्यों के साथ–साथ कार्यकारी परिषद के कुल सदस्यों के आधे से होगी ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ओडिशा की शैक्षणिक परिषद के गठन के लिए, संविधि – 13 में संशोधन ।

1. शैक्षणिक परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

i. कुलपति;

ii. समकुलपति;

iii स्कूल आफ़ स्टडीज़ (प्राध्यायन केन्द्र) के संकाय प्रमुख;

iv. विभागों/केन्द्रों के प्रमुख;

v. कुलपति द्वारा विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधित्व को प्रधानता प्रदान करते हुए चक्रानुक्रम में नामित स्कूल ऑफ स्टडीज़ के संकाय प्रमुख और विभागों/केन्द्रों के प्रमुखों से इतर 10 प्रोफेसर;

vi. कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त एक सह प्रोफेसर जो शैक्षणिक विभाग का अध्यक्ष न हो;

vii. कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त पाँच सहायक प्रोफेसर;

viii. ग्रंथालयी/पुस्तकालयाध्यक्ष;

ix. शैक्षणिक परिषद द्वारा शैक्षिक प्रगति और विकास में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले सहयोजित पाँच व्यक्ति, जो कि विश्वविद्यालय की सेवा में न रहे हों ।

2. छात्र कल्याण संकाय प्रमुख और कुलानुशासक/प्रॉक्टर पदेन सदस्य होंगे ।

3. पदेन सदस्यों के अलावा शैक्षणिक परिषद के सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा ।

4. शैक्षणिक परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति कम से कम दो बाहरी सदस्यों के साथ–साथ शैक्षणिक परिषद के कुल सदस्यों के आधे से होगी ।

प्रो. सच्चिदानन्द मोहन्ती, कुलपति

[विज्ञापन–III/4/असा./150/(381)]

IndiaCode

CENTRAL UNIVERSITY OF ORISSA, KORAPUT

NOTIFICATION

Koraput, the 24th June, 2016

The amended Statute 2(4)

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he/she enters up on his/her office or until he/she attains the age of Seventy years or whichever is earlier. He /She shall be eligible for the re-appointment

Amendment to Statute-11, Central Universities Act, 2009 for the Constitution of Executive Council of Central University of Orissa

(1) The following shall be the composition of Executive Council of the University:

i The Vice Chancellor;

ii. Secretary, Dept. of Higher Education, MHRD, GOI or his/her nominee;

iii. Secretary, Dept. of Higher Education, Govt. of Orissa, Bhubaneswar;

iv. The Nominee of the Chairman of UGC, New Delhi;

v. The Pro-Vice Chancellor;

vi Four members from among Deans of Schools of Studies, by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice Chancellor;

vii. One Professor who is not a Dean by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice Chancellor;

viii. One Associate Professor, by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice-Chancellor;

ix. One Assistant Professor, by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice-Chancellor;

x. Two members of the Court, none of whom shall be an employee or a Student of the University or an institution recognized by or associated with the University, to be nominated by the Visitor;

xi. Four persons of distinction in academic and Public life to be nominated by the Visitor.

(2) All the members of the Executive Council shall, other than the Vice-Chancellor, shall hold Office for a term of three years.

(3) Half of the total members of the Executive Council with at least two outside members, shall form a quorum for a meeting of the Executive Council.

Amendment to Statute-13, Central Universities Act, 2009 for the Constitution of Academic Council of Central University of Orissa

1. The Academic Council shall consist of the following members namely.

i. The Vice-Chancellor.

ii. The Pro-Vice Chancellor.

iii. Deans of Schools of Studies.

IndiaCode

iv. Head(s) of teaching Department(s)/Centre(s).

v. 10 Professors (Excluding those who are Deans of Schools of Studies & Heads of the Department(s)/ Centre(s) on the basis of seniority and rotation to be nominated by Vice Chancellor giving due regard to representation of different Schools.

vi. One Associate Professor who is not Head of Teaching Department by rotation according to seniority to be appointed by the Vice-Chancellor.

vii. Five Assistant Professors by rotation according to seniority to be appointed by the Vice-Chancellor.

viii. Librarian.

ix. Five Persons not in the service of the University Co-opted by the Academic Council for their special knowledge in educational progress and development.

2. Dean, Students Welfare and Proctor shall be ex-officio members.

3. All members of the Academic Council, other than the ex-officio members, shall hold office for a term of three years.

4. Half of the total members of the Academic Council, with at least two outside members, shall form the quorum for the meeting of the Academic Council.

Prof. SACHIDANANDA MOHANTY, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./150(381)]

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.